प्रेस नोट
जनपद संकबीरनगर
दिनाँक 24.06.2026

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/2026 धारा 115(2)/351(3)/109/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. अकबर अली 02.शहबान पुत्रगण आसिक अली निवासीगण रसूलाबाद थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 24.06.2026 को बुद्धईयां बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 05.06.2026 को वादी श्री श्याम कुमार पुत्र स्व0 झीनक निवासी मोहल्ला ठठरहिया बाजार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा धारदार हथियार लहराते हुए लोहे की राड व पंच से मार पीट कर घायल करने व जान से मारने की धमकी दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 संजीव यादव, का0 रूपान्जय सिंह, म0का0 प्रियंका सिंह।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को साइबर हेल्प हेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 17,080 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को 17,080 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमती निधि शुक्ला पत्नी आत्माराम शुक्ला निवासिनी मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर दिनाँक 27.05.2024 को आवेदिका से अज्ञात फ्राडर द्वारा लोन दिलाने का प्रलोभन देकर एवं झूठा विश्वास दिलाकर आवेदिका के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदिका ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 17,080 रुपये की धनराशि को पीड़िता के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, प्रभारी साइबर सेल श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, का0 अनुज शुक्ला, का0 रितिक वर्मा।

जनता से अपील

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 5000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 5000 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री उमाशंकर पुत्र भगवान दास निवासी मंझरिया पठान थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर दिनाँक 08.09.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक से फ्राडर द्वारा प्रलोभन देकर एवं झूठा विश्वास दिलाकर आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बेलहरकला में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 5000 रुपये की धनराशि को पीड़ित के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।।

बरामदगी टीम- थानाध्यक्ष श्री हरिकेश भारती, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

जनता से अपील

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित द्वारा थाना बेलहरकला पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

आदरणीय

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.06.2026 को समय 12.20 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि कबीर चौरा मठ मगहर के पास से दो अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्तियों द्वारा एक महिला का मंगलसूत्र ले कर मौके से फरार हो गए है । इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला से वार्ता कर छानबीन किया जा रहा है। मौके पर एंटी थेप्ट टीम भी मौजूद है। सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 2,000.00 रु की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाई करते हुए 01 युवक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को पैसे भेजने का झूठा दिलासा देकर आवेदक को अज्ञात लिंक भेजकर धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की गयी, ठगी के शिकार हुए पीड़ित को 2,000.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.11.2025 को पीड़ित निशान्त पुत्र श्री नीरज जायसवाल निवासी हनुमानगढ़ी मंदिर बर्थनैया बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से फ्रॉड हो जाने के उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। जिसमे पीड़ित द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या – 33111250171170 पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी दीपक सिंह, आरक्षी सौरभ कुमार द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 2,000.00 रुपये वापस करा दी गयी। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम – प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम , आरक्षी दीपक सिंह, आरक्षी सौरभ कुमार व रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार।

जनता से अपील -

1. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
2. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित व उसके परिजनों द्वारा थाना मेंहदावल पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 176 वाहनों से 1,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 176 वाहनों से 1,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 24.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 27.04.2018 को थाना महुली पर अभियुक्त नाम पता सुनील कुमार पुत्र भोला प्रसाद निवासी घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री नसीबुद्दीन द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 256/2018 धारा 377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध के तहत दोषसिद्ध किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 377 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा नकरने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।